

## 💵 বুলুগুল মারাম

হাদিস নাম্বারঃ ৯১৪

পর্ব - ৭ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান (كتاب البيوع)

পরিচ্ছেদঃ ১৫. মাসাকাত বা বিনিময়ে তত্ত্বাবধান ও ইজারাহ বা ভাড়া বা ঠিকায় সম্পাদন - মজুরীর পরিমান জানা আবশ্যক

## আরবী

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ \_ رضي الله عنه \_ أَنَّ النَّبِيَّ \_صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

ضعيف. رواه عبد الرازق في «المصنف» (8/ 235 / رقم 15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري \_ أو أحدهما \_ أن النبي \_صلى الله عليه وسلم\_، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (3/ 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره «وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (6/ 120) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة». قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (7/ 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف» فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف»



صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرًا، فليُسم له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم». وأبو حنيفة رحمه الله لا يوازن بواحد منهما رحمهما الله، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في «العلل» (1/ 376 / رقم 1118) قوله: «الصحيح موقوف على أبي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: «الصحيح» «أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعيب الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» ص (168)، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفًا \_ بغض النظر عن صحة السند أو ضعفه \_ أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: لأن الثوري

## বাংলা

৯১৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে লাগাবে সে যেন তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে কাজে লাগায়। 'আবদুর রাযযাক (রহ.) এর সানাদ মুনকাতে, আর বাইহাকী আবূ হানীফাহ (রহঃ)-এর মাওসূল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[1]

## ফুটনোট

[1] ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর আত-তালখীসুল হাবীর (৩/১০৩৩) গ্রন্থেও এটিকে মুনকাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক (৮/২৩৫) হাদীস নং ১৫০২৩। এর সমর্থনে মামার থেকে হাম্মাদ সূত্রে মুরসাল সূত্রেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবৃ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন